न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 56/25 GCMS NO 2025/88

1. राजेश उर्फ रंगजी पुत्र लखन
2. आशा पत्नि लखन
3. कौशल पुत्र लखन नाबालिंग जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता आशा पत्नि लखन
4. सविता पुत्री लखन नाबालिंग जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता आशा पत्नि लखन
5. रामोती पत्नि विशनलाल
6. सुरमा देवी पत्नि रूपचंद पुत्री चिरंजीलाल
7. बृजमोहन पुत्र रूपचंद
8. पुष्पेन्द्र पुत्र रूपचंद
9. पंखीलाल पुत्र भम्बल
10. बाबूलाल पुत्र भम्बल
11. मुकेश पुत्र भम्बल
12. योगेश पुत्र भम्बल
13. उकेश पुत्र भम्बल
14. रतनी पत्नि भम्बल
15. बुद्दि पुत्री भम्बल सभी जातियान मीना निवासीयान ग्राम विलोजपुर तहसील सपोटरा जिला करौली
16. राधेश्याम पुत्र देवनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली (फौत)
    - 16/1. सुशीला देवी पत्नि स्व0राधेश्याम
    - 16/2. विरेन्द्र पुत्र स्व0राधेश्याम
    - 16/3. नीतेश पुत्र स्व0राधेश्याम
    - 16/4. विजय पुत्री स्व0राधेश्याम
    - 16/5. मधुलता पुत्री स्व0राधेश्याम
    - 16/6. स्वीटी पुत्री स्व0राधेश्याम समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कुंदन
2. मुकेशी पत्नि स्व0राजेन्द्र
3. हमीस पुत्र स्व0राजेन्द्र
4. रोहित पुत्र स्व0राजेन्द्र
5. अंकिता पुत्री स्व0राजेन्द्र सभी नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मुकेशी पत्नि स्व0राजेन्द्र
6. रूकमकेश पुत्र कुंदन
7. राजमोहन पुत्र कुंदन
8. मानो पत्नि कुंदन

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

9. जगदीश पुत्र रामकिशन
10. लडडो पत्नि रामकिशन (फौत) वारिस जगदीश सभी जातियान मीना निवासीयान ग्राम विलोजनगर पटवार हल्का सलेमपुर सब तहसील कुडगांव तहसील सपोटरा जिला करौली
11. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 14/23 निर्णय दिनांक 7.5.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री रिषीराम मीना
अभिभाषक रैस्पो0 श्री विष्णु चंद बंसल

दिनांक 10.11.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 7.5.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र 251 (ए) इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा न0 445 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा स्थित ग्राम विलोजनगर है। जिस पर प्रार्थी काबिज है तथा कुछ हिस्से पर पशुओ के लिए एवं कृषि कार्य हेतु उपकरण रखने हेतु मकान बना हुआ है। खसरा न0 559 की उत्तरी सीमा जो खसरा न0 446 से लगी हुई है वहॉ तक 10–12 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है। जो आगे चलकर आम रास्ता खसरा न0 671 से मिला हुआ है एवं खसरा न0 660 मे भी आम रास्ता 10–12 फीट चौडा पूर्व से बना हुआ है। प्रार्थीगण हमेशा से खसरा न0 660 एवं 659 मे स्थित 10–12 फीट चौडे रास्ते से आते जाते रहे है। प्रार्थीगण अपनी आराजी के पूर्व मे स्थित खसरा न0 446 व 559 की मेड पर होकर स्थित कदीमी रास्ते से होकर अपनी आराजी खसरा न0 445 को आते जाते रहे है। जिसे कई वर्ष व्यतीत हो चुके है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि खसरा न0 445 की तरफ खसरा न0 659 मे नींव खोदकर प्रार्थीगण के खसरा न0 659 व 446 की मेड पर स्थित कदीमी रास्ता को बंद कर करने की नियत से नींव खोदकर निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए प्रार्थीगण को आराजी खसरा न0 445 की भूमि के लिए खसरा न0 659 व 446 की मेड पर होकर 15 फीट चौडाई का रास्ता दिलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से लायके मंसूखी है। रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा अपने आवेदन मे यह स्वीकार किया है कि वह अपनी खातेदारी की आराजी खसरा न0 445 मे आमद रफत हेतु खसरा न0 446 व खसरा न0 559 की मेड का उपयोग कदीम से करते चले आ रहे है। जो बिलकुल गलत है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 27.1. से स्पष्ट है कि आराजी खसरा न0 445 वाके ग्राम विलोजनगर मे आबादी बसी हुई है। ऐसी स्थिति मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत केवल कृषि भूमि हेतु ही रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। आबादी हेतु रास्ता देने के कम मे उक्त अधिनियम प्रभावी नही होता अर्थात प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 ऐ के तहत प्रथम दृष्टया पोषनीय नही है ऐसी स्थिति मे आदेश मातहत खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से आवेदक/रेस्पो0 द्वारा चाहे गये अनुतोष के विपरीत खसरा न0 659 मे से रास्ता हेतु आदेश प्रतिपादित किया है। जो निरस्त योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ना होने की सूरत मे ही लघुतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त नजरी नक्शा का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया यह सिद्व है कि खसरा न0 660 की सरहद जो खसरा न0 445 से सटवा है की ओर यदि प्रार्थीगण/रेस्पो0 को उपलब्ध करवाया जाता तो वह कदीमी रास्ते से स्वतःही जुड जाता है। यह लघुतम रास्ता है लेकिन प्रार्थीगण /रेस्पो0 ने दुर्भावना पूर्वक बदनियती व बदमंशा के कारण अपीलांटगण की आराजीयात मे से रास्ता हेतु मांग की है जो विधि के विपरीत है। मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट की उक्त खातेदारी की आराजीयात मे मकानात व नीव खोदकर खातेदारान द्वारा निवास किया जा रहा है। यदि अदालत मातहत के उक्त आदेश की पालना मे रास्ता उपलब्ध कराया जाता है तो अपीलांट के मकानात की दीवारे व पाटोर पोश व मकानो की नीवें खुर्द बुर्द होगी जिससे अपीलांट को नाकाबिले नुकसान होगा। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दुर्भावना पूर्वक विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने निर्णय मे यह स्पष्ट नही किया कि किस खसरा न0 मे से कितना रकबा रास्ते के उपयोग हेतु किया जावेगा इसके बाबजूद अदालत मातहत ने अपीलांट को अदा करने वाली राशि का विभाजन किया है जो काल्पनिक है। इस तरह अदालत मातहत का आदेश खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने आलोच्य आदेश की पालना 7 दिवस मे करने के आदेश दिये है जो सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानो के विपरीत होने से आलोच्य आदेश निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 7.5.25 को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौरोन बहस कथन किया कि रेस्पो/प्रार्थीगण की आराजी खसरा न0 445 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा स्थित ग्राम विलोजनगर है। जिस पर रेस्पो/प्रार्थी काबिज है तथा कुछ हिस्से पर पशुओ के लिए एवं कृषि कार्य हेतु उपकरण रखने हेतु मकान बना हुआ है। खसरा न0 559 की उत्तरी सीमा जो खसरा न0 446 से लगी हुई है वहॉ तक 10–12

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

फीट चौडा रास्ता बना हुआ है। जो आगे चलकर आम रास्ता खसरा न0 671 से मिला हुआ है एवं खसरा न0 660 मे भी आम रास्ता 10–12 फीट चौडा पूर्व से बना हुआ है। रेस्पो/प्रार्थीगण हमेशा से खसरा न0 660 एवं 659 मे स्थित 10–12 फीट चौडे रास्ते से आते जाते रहे है। रेस्पो/प्रार्थीगण अपनी आराजी के पूर्व मे स्थित खसरा न0 446 व 559 की मेड पर होकर स्थित कदीमी रास्ते से होकर अपनी आराजी खसरा न0 445 को आते जाते रहे है। जिसे कई वर्ष व्यतीत हो चुके है। अपीलांटगण/अप्रार्थीगण द्वारा रेस्पो/प्रार्थीगण की भूमि खसरा न0 445 की तरफ खसरा न0 659 मे नीब खोदकर प्रार्थीगण के खसरा न0 659 व 446 की मेड पर स्थित कदीमी रास्ता को बंद कर करने की नियत से नींव खोदकर निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए रेस्पो/प्रार्थीगण को आराजी खसरा न0 445 की भूमि के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने एवं पूर्व से कदीमी रास्ता खसरा न0 660 एवं 659 की मेड से होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार से रास्ते के सबंध मे मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई है। जिसमे तहसीलदार ने रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ता का अभाव तथा अपीलांट के खेत खसरा न0 659 मे से 0.02 है0 एवं खसरा न0 446 मे से 0.01 है0 का 12 फीट चोडा रास्ता डी एल सी दर की प्रचलित दर से दो गुना राशि हिस्सा अनुसार तहसील मे जमा कराने की शर्त पर रास्ता प्रदान किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि खसरा न0 445 मे आबादी बसी हुई है जिसमे से रास्ता प्रदान नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता खसरा न0 445 मे से नही दिया गया है रास्ता खसरा न0 659 व 446 मे से दिया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत विधिवत रूप से प्रदान किया गया है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन मिथ्या है। तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय मे भिजवाई गई है उसमे अपीलांट के पुख्ता मकानात को छोडकर ही रास्ता प्रदान किया गया है। अपीलांट के पुख्ता मकानात को किसी प्रकार से रास्ते मे नही लिया गया है। अपीलांट का यह कथन भी मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किस किस खसरे मे से कितना कितना रकबा रास्ते के लिए दिया गया है का उल्लेख निर्णय मे नही किया है। अपीलांट का उक्त कथन मिथ्या है क्योकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे स्पष्ट उल्लेख किया है कि खसरा न0 659 मे से 0.02 व खसरा न0 446 मे से 0.01 है0 भूमि ही रास्ते के लिए प्रदान की गई है। खसरा न0 659 व 446 के खातेदारान को भूमि की डी एल सी दर की दो गुना राशि तहसील सपोटरा मे जमा कराने के आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये है। जिसकी पालना मे प्राथी/रेस्पो0 द्वारा राशि तहसीलदार सपोटरा के यहॉ जमा करा दी गई है तथा मौके पर अधिनस्थ न्यायालय की पालना मे रास्ता कायम हो चुका है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 ए के तहत निहित प्रावधानो के मद्देनजर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये है कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 445 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा पर आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया था। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 30.12.24 अनुसार खसरा न0 445 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा मे मौके पर आबादी बसी होना दर्ज है। प्रार्थी द्वारा खसरा न0 659 व 446 की मेड पर से चाहा गया है जबकि नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा न0 659 पर पहुॅच हेतु सर्वप्रथम ख0न0 660 मे जाना आवश्यक है जबकि खसरा न0 660 के संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का निर्णय पारित नही किया गया है। इसी प्रकार नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा न0 661 की सीमा खसरा न0 445 से लगी हुई है। जिस पर से खसरा न0 445 पर पहुॅच का निकटतम मार्ग होना प्रतीत होता है। धारा 251 ए के तहत सर्वप्रथम सबसे निकटतम रास्ते को चिन्हित करना चाहिए जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो का विधिवत रूप से पालन नही किया है। उपरोक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को खसरा न0 445 पर पहुॅच हेतु सबसे लघुतम दूरी के रास्ते के संबंध मे तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःनिर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के प्रकरण संख्या 14/23 मे पारित निर्णय दिनांक 7.5.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा न0 445 पर पहुॅच हेतु सबसे निकटतम दूरी के रास्ते के सबंध मे तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 15.12.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner